

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>20⁷/₂₅</p>	<p>पत्रावली पैरा हुई वार-वार आवाज दिलाने के पश्चात भी सायल एवं उन्हे वकील उपस्थित नहीं हुए इसलिए मु० नं० 123/2023 मिसल आई०डी० नं० 2023/276 उनवानी धर्मवीर बनाम बदरी सार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अद्य वैरवी अद्य हाजिरी में धारित किया जाता है। पत्रावली मिसल गुमार होरद वाड तकमील नं० से कम की जाकर राखिल रहत है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। <u>.....</u></p>	<p>.....</p>